न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 51 / 2023
रजिस्ट्रेशन नं. :2023 / 61

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज) **बनाम**

अभियुक्त :–
श्री रणवीर सिंह चौहान पुत्र श्री लाल सिंह, मैसर्स – अनुप्रीत ट्रेडर्स, हॉस्पीटल के सामने, गनोडा, बांसवाडा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 30–10–2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा** (राज.) के द्वारा दिनांक **11–09–2023** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **12–05–2023** को 3.30 पी.एम. बजे दौरान गस्त बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स – अनुप्रीत ट्रेडर्स, हॉस्पीटल के सामने, गनोडा, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री रणवीर सिंह चौहान पुत्र श्री लाल सिंह** उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में अनुप्रीत ट्रेडर्स, हॉस्पीटल के सामने, गनोडा, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर **Dessert Mix Gulab Jamun (Gits) जो रेक में करीब 44 पैकेट 200 ग्राम रखे हुए थे।** जो आम जनता को खाद्य सामग्री बिक्री वास्ते होना बताया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **Dessert Mix Gulab Jamun (Gits) के 200 ग्राम के 08 पैकेट** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 800 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **Dessert Mix Gulab Jamun (Gits) के 200 ग्राम के 08 पैकेट के चार नमुना भाग तैयार कर प्रत्येक नमूना प्लास्टिक डिब्बा** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1407** लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये तैयार लेबल प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.01.09 10:00:23 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी

नमूना भाग पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूने को नियमानुसार सील बन्द किया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2023 / 332 दिनांक 13–06–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 562 दिनांक 29–05–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Dessert Mix Gulab Jamun (Gits)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1407** Misbranded food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **Dessert Mix Gulab Jamun (Gits)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 12–09–2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 30–10–2023 को अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2023 / 332 दिनांक 13–06–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 562 दिनांक 29–05–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Dessert Mix Gulab Jamun (Gits)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1407** Misbranded food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

न्याय निर्णायक अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.01.09 11:00:13 IST
Reason: SelfAttested

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत मिसब्राण्डेड **Dessert Mix Gulab Jamun (Gits)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री रणवीर सिंह चौहान पुत्र श्री लाल सिंह, मैसर्स – अनुप्रीत ट्रेडर्स, हॉस्पीटल के सामने, गनोडा, बांसवाडा (राज.) को रूपये 10000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 30–10–2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

न्याय निर्णयन अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) बांसवाड़ा

न्याय निर्णयन अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.01.09 10:00:13 IST
Reason: SelfAttested